समाहरणालय, सिवान
(जिला सामान्य शाखा)
–: आदेश :–

सरकार के संयुक्त सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–46 दिनांक 25.07.2018 के द्वारा मॉग संख्या–08 के अधीन राज्य स्कीम बजट शीर्ष–2205–कला एवं संस्कृति–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–0101–कला और संस्कृति का संवर्द्धन, विपत्र कोड संख्या–08220500102010 1 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 विषय शीर्ष 2002–कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार इकाई में बिहार दिवस के आयोजनार्थ 3,00,000.00 (तीन लाख) रुपया एवं जिला स्थापना दिवस समारोह के आयोजनार्थ 3,00,000.00 (तीन लाख) रुपया निधि का आवंटन प्राप्त है। प्राप्त आवंटन के आलोक में शीर्ष–2205–कला एवं संस्कृति–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–0101–कला और संस्कृति का संवर्द्धन, विषय शीर्ष 2002–कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार इकाई में बिहार दिवस के आयोजनार्थ 3,00,000.00 (तीन लाख) रुपया एवं जिला स्थापना दिवस समारोह के आयोजनार्थ 3,00,000.00 (तीन लाख) रुपया वित्तीय वर्ष 2018–19 में नजारत उप समाहर्ता, सिवान को उनके नाम के समक्ष कॉलम–4 में अंकित राशि निम्नवत उपावंटित की जाती है:–

क्र0	पदाधिकारी का नाम	पूर्व में उपावंटित राशि	वर्तमान में उपावंटित राशि		कुल उपावंटित राशि
			बिहार दिवस आयोजनार्थ	जिला स्थापना दिवस आयोजनार्थ	
1	2	3	4	5	6
1	नजारत उप समाहर्ता, सिवान	–	3,00,000.00	3,00,000.00	6,00,000.00
	कुल योग :–	–	3,00,000.00	3,00,000.00	6,00,000.00

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक–3244/वि0, दिनांक 04.05.2018 के आलोक में बजट उपबंध के शत–प्रतिशत के अन्तर्गत आवंटित है।
3. वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेश तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।
4. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
5. यह राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 के कार्यो के लिए आवंटित है।
6. आवंटित राशि का भुगतान किये जाने से पूर्व संबंधित फर्म/व्यक्ति के नियमानुसार आयकर/GST की कटौती करते हुये संबंधित शीर्ष में जमा करा दिया जाये।
7. भुगतान पाने वाले प्रतिष्ठान/व्यक्ति यदि सेवा कर प्रदाता है तो उनके विपत्र पर सेवा कर निबंधन संख्या/सेवा कर कोड एवं लेखा कोड अंकित है या नहीं इस संबंध में सुनिश्चित होने के पश्चात ही भुगतान किया जाये।
8. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पांचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
9. इस आवंटन पत्र की सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित है।

जिला पदाधिकारी,
सिवान

ज्ञापांक–XLIV-04/2017 566 /सा0शा0, सिवान,दिनांक 26-3-19 ।
प्रतिलिपि :– नजारत उप समाहर्ता, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– वरीय कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– NIC को सूचनार्थ एवं जिला की Website पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

26.03.19

जिला पदाधिकारी,
सिवान